

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- अप्रील, 2017

विषय :- गृह विभाग (विशेष शाखा) में पदस्थापित बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नवनियुक्त सहायकों को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना में प्रवेश कालीन प्रशिक्षण के द्वितीय चरण के तृतीय बैच एवं चतुर्थ बैच एवं पंचम बैच में प्रशिक्षण प्राप्त करने के फलस्वरूप अनुमान्य दर पर दैनिक भत्ता एवं परिवहन भत्ता के भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम-65(क)(2) तथा 69 के आलोक में स्वीकृत।

क्र०	सहायक का नाम	प्रशिक्षण के दिनों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि
1	श्री महबूब आलम	20 दिन	09.11.2016 से 07.12.2016 तक
2	श्री शैलेन्द्र कुमार	20 दिन	15.12.2016 से 16.01.2017 तक
3	श्री मनीष कुमार	20 दिन	24.01.2017 से 22.02.2017 तक
4	श्री नीरण	20 दिन	24.01.2017 से 22.02.2017 तक
5	श्री कन्हैया प्रसाद मंडल	20 दिन	24.01.2017 से 22.02.2017 तक
6	श्री दुर्गेश कुमार झा	20 दिन	24.01.2017 से 22.02.2017 तक

2. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी को बिपार्ड द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम-65(क)(2) के आलोक में नियम-69 में विहित दर से आधे दर पर दैनिक भत्ता देय होगा।
3. प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मुख्यालय से बाहर जाने के कारण दैनिक परिवहन भत्ता तभी देय होगा जब प्रशिक्षणार्थियों द्वारा इस क्रम में की गयी दूरी 8 (आठ) कि०मी० से अधिक हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजभूषण प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- स्था0/वि0-09-42/2012-...../

पटना, दिनांक- अप्रील, 2017

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-


सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक- 10 अप्रील, 2017

ज्ञापांक :- स्था0/वि0-09-42/2012- 2886...../

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/मुद्रालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/दफ्तरी, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(-) केवल लेखा शाखा के लिए।


10.4.17

सरकार के अवर सचिव


10/4/17